न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 143/2023
जीसीएमएस न0 2023/477

1. शांतिलाल पुत्र नारायणजी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी सेमलिया तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

–प्रार्थी

बनाम

1. सीताबाई पत्नि पुत्री लक्ष्मणजी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी सेमलिया तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
2. नानालाल पुत्र नंदाजी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी सेमलिया तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 22.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात वाके मौजा सेमलिया पटवार हल्का डला उर्फ किशनुपरा तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 203 की आराजी नं० 175 रकबा 0.2700 हैक्टेयर लगानी 6 रुपया 89 पैसा स्थित हैं। साक्ष्य में नकल जमाबंदीयां व नक्षा ट्रेस पेश हैं।

2. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है उक्त आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता जो सेमलिया से खेतो पर जाने का आम रास्ता स्थित है, जो आगे जाकर उत्तर की ओर मुडकर आराजी नं0 192 मे से होकर चाह नम्बर 187 के दक्षिणी पूर्वी कोने से पूर्व की ओर मुड कर विपक्षी नं01 सीताबाई की खातेदारी की आराजी नम्बर 188 की उत्तरी मेड पर होकर, विपक्षी नं0 2 नानालाल की खातेदारी की आराजी नं0 174 के दक्षीणी पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर मुड कर विपक्षी नं0 2 की आराजी नं0 174 की पश्चिमी मेड पर होकर प्रार्थी की आराजी नं0 175 में आता जाता हैं उक्त रास्ता जो विपक्षीगण की आराजी नं0 188 में से होकर करीब 12 फीट चौडा कदीमी रास्ता प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर आता जाता है उक्त रास्ते से प्रार्थी अपनी आराजीयात पर कदीम से अपने बाप दादा के समय से हल बैल गाडी ट्रेक्टर आदि लाता ले जाता चला आ रहा है प्रार्थी इसी एक मात्र कदिमी रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, उक्त कदिमी रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने हेतु मौके पर मौजुद नही है, और उक्त रास्ता निकटतम रास्ता हैं। उक्त आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता जो सेमलिया से खेतो पर जाने का आम रास्ता स्थित है, जो आगे जाकर उत्तर की ओर मुडकर आराजी नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:46:17 IST
Reason: SelfAttested

192 में से होकर चाह नम्बर 187 के दक्षिणी पूर्वी कोने से पूर्व की ओर मुड कर विपक्षी नं01 सीताबाई की खातेदारी की आराजी नम्बर 188 की उत्तरी मेड पर होकर, विपक्षी नं0 2 नानालाल की खातेदारी की आराजी नं0 174 के दक्षीणी पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर मुडकर विपक्षी नं0 2 की आराजी नं0 174 की पश्चिमी मेड पर होकर प्रार्थी की आराजी नं0 175 में आता जाता हैं। विपक्षीगण अपनी आराजी नं० 188 व 174 में प्रार्थी के उक्त कदीमी रास्ते में जबरन अवरोध पैदा कर प्रार्थी के रास्ते को बंद करने की नियत से रास्ते की जमीन पर जबरन नाजायज कब्जा करने की नियत से, रास्ते को संकडा करने की नियत से रास्ते में खाई खोदकर, तारबंदी कर, मेड को हांक कर रास्ते की भूमि को अपनी आराजीयात में मिला कर उक्त रास्ते को बंद करने पर आमादा हैं तथा रास्ते के स्वरुप में परिवर्तन करने पर आमादा है, तथा प्रार्थी व गांव के मौतबिर व्यक्तियों द्वारा विपक्षीगणो को समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे है, जबकि उक्त 12 फीट चौडा गाडी गडार रास्ता प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता हैं उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं हैं उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी अपने बाप दादा के समय से कदीम से बिना किसी बाधा के करता चला आ रहे हैं।

3. प्रार्थी ने विपक्षीगण की आराजी नं0 188 व 174 की मेड से होता हुआ 12 फीट चौडा रास्ते के लिए उक्त रास्ते की भूमि के बदले प्रार्थी की आराजीयात मे से भूमि के बदले भूमि देकर या डि. एल.सी.रेट के अनुसार जो भी रकम बनती है वह रकम या जमीन प्रार्थी विपक्षीगण को देने के लिए तैयार हैं परन्तु वह उक्त भूमि या रकम विपक्षीगण नही ले रहे हैं। विपक्षी नं0 1 व 2 दिगर लोगो के सिखावे में आकर जबरन उक्त कदिमी रास्ते को बंद करना चाहते है और रास्ते मे अवरोध पैदा करना चाहते है प्रार्थी का उक्त रास्ता एक मात्र कदिमी रास्ता है। उक्त रास्ते को बंद कर देने की सुरत मे प्रार्थी का अपनी आराजीयात पर आने जाने का उक्त एक मात्र रास्ता बंद हो जाने पर प्रार्थी की आराजीयात पडत पडी रह जावेगी, तथा वर्तमान मे फसल काश्त करने का समय है और प्रार्थी की भूमि को हर सुरत मे विपक्षीगण पडत रखवाने पर आमादा है, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थी विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते की किमत डि0एल0सी से नहीं लेने से प्रार्थी उक्त राशि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में व राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते को दर्ज कराने का अधिकारी है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा ने रिपोर्ट मय मौका इस कार्यालय कों प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में अंकन किया कि आराजी नम्बर 175 जो प्रार्थी श्री शांतिलाल पिता नारायण धाकड के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 169/804 एंव आराजी नम्बर 977/164 भी इन्हीं खातेदारों की भूमि है। आराजी नम्बर 193 रास्ता एंव आराजी नम्बर 160 बिलानाम भूमि है। प्रार्थी की भूमि बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 193 तक होकर रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी की भूमि पर रास्ता उपलब्ध होने से अब अलग रास्ता देने योग्य प्रकरण नहीं पाया गया।

6. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर [illegible] उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान [illegible] की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेज [illegible] आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी श्री ओमप्रकाश पिता कालु खटीक स[illegible]कनेरा की संयुक्त आराजी नं0 330 रकबा 1.08 हैक्टेयर पर आने–जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता मौजा मुवानियाखेड़ी की आ.नं. 329 रकबा 1.08 है. की दक्षिणी मेड़ पर चाहता है। आ०नं0 329 रेकार्डे रास्ते से लगा हुआ है जिसका आ०नं० 328 है। यह रेकार्डेड रास्ता आ०नं0 328 चालु हालत में है। प्रार्थी अपनी संयुक्त खातेदारी व कब्जे की आराजियात पर आने जाने हेतु रास्ता कायम कराना चाहता है परन्तु उक्त प्रकरण में संयुक्त खातेदारो को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:46:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए यह प्रकरण आवश्यक पक्षकार के अभाव में चलने योग्य नहीं है।

7. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है–

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहाँ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकटतम रूट से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:46:13 IST
Reason: SelfAttested

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट जोतों में से किसी भी सुविधा के उपभोग को अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

8. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

9. हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा सेमलिया पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा के आराजी नम्बर 193 रास्ता एंव आराजी नम्बर 160 बिलानाम भूमि है। प्रार्थी की भूमि बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 193 तक होकर रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में एक रास्ता होते हुए दूसरा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा केवल सुविधा की दृष्टी से नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

8. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:46:17 IST
Reason: SelfAttested